



F-07-07

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
MARATHAHALLI COLONY P.O  
BENGALURU - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं.: 1917 / Type Approval No.: 1917**

**मद/FOR ITEM: मिन्नॉल ग्रीस सं.9**

**(रशियन ग्रीस सं.9 के समतुल्य, टीयू-38-001116-84)**

**Minrol Grease No. 9**

**(Equivalent to Russian Grease No.9, TU – 38 – 001116 – 84)**

यह प्रमाणित किया जाता है की डीएमएसआरडीई, कानपुर द्वारा विकसित तथा मेसर्स मिनरल ऑईल कार्पोरेशन, डी-13, पंकी इंडस्ट्रियल एरिया, साईट-1, कानपुर – 208 022 द्वारा उत्पादित “मिन्नॉल ग्रीस सं.9 (रशियन ग्रीस सं.9 के समतुल्य, टीयू-38-001116-84)” को इन्स्ट्रुमेंट्स एवं मेकॉनिज्म के लुब्रिकेशन हेतु एंटीफ्रिक्शन ग्रीस के रूप में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर. सी. एम. ए (एफ एंड एफ-एफओएल) के समन्वय से नियंत्रक तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज सं. टीयू-38-001116-84 (सूपरसीड्स टीयू-38-001116-73) और टेस्ट शेड्यूल दस्तावेज सं. एफओएल/टीएस/02/2011, इश्यू सं. शून्य, दिनांक 22 नवंबर 2011 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कंप्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the “Minrol Grease No. 9” (Equivalent to Russian Grease No.9 TU – 38 – 001116 – 84) developed by DMSRDE, Kanpur and manufactured by M/s Mineral Oil Corporation, D – 13, Panki Industrial areas, Site-1, Kanpur – 208 022 is hereby approved for production for use as antifriction grease for Lubrication of instruments and mechanisms. This has been tested in co-ordination with RCMA (F & F-FOL) as per Governing Technical Specification Document Number TU-38-001116-84 (supercedes TU-38-001116-73) and Test Schedule Document No.: FOL/TS/02/2011, Issue No.: NIL, dated: 22<sup>nd</sup> November 2011. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.*



2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

*The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 अप्रैल 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, इसके बाद इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (एफ एंड एफ-एफ ओ एल), से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 30<sup>th</sup> April 2022 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (F&F -FOL), for subsequent renewal, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.*


4. अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, will have to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.*

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

*This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए'/Appendix 'A'  
सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1917  
दिनांक/Date : 17 May 2017  
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

  
पी जयपाल / P.JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)

